



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)
संभागीय कार्यालय, आई. आई. टी. कैम्पस, पवई, मुंबई- 400076

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

(Under Min. of Education, Govt. of India)

Regional Office: IIT Campus, Powai, Mumbai-400076.

दूरभाष/Tel. (022) 2572 8060/2328/6763/1614/0717 (EAPBX)

ई/मेल-E-mail : kvs Mumbai region@gmail.com

WEBSITE : <https://romumbai.kvs.gov.in>

F.27061/01/2024/केविसं/क्षे.का.मुंबई/प्रशा./ 4748 - 4858

दिनांक: 06.08.2024

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु), नई दिल्ली के पत्र क्रं एफ11-55/2000-KVS(Vig)/Pt.1/112225 दिनांक 05.03.2019 के आलोक में दिनांक 09.12.2013 से लागू 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013' की धारा - 4(2) के अंतर्गत निहित प्रावधानों और दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निपटान से संबंधित इस कार्यालय के आदेश क्रमांक F.27061/01/2023/RO Mumbai/Admn(Vig) दिनांक 28.08.2023 के द्वारा पूर्व में गठित समिति को संशोधित करते हुए 'आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaint Committee)' का नियमानुसार पुनर्गठन किया जाता है।

| क्रं | समिति में धारित पद | सदस्यों के नाम एवं पदनाम पता सहित | Jurisdiction |
|------|--------------------|---|--|
| 1 | Presiding Officer | Smt. Alice Purnima Kachchap, Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Mumbai- 400 076; Phone No: 022- 25728060 | To inquire into the complaints of sexual harassment at work place against the officials at the Regional Office upto the level of Section Officer (excluding Finance Officer) and against Principals, Vice-Principals and HMs of Mumbai Region. |
| 2 | Female Member | Smt. Sangeeta Gutain, Principal PM Shri Kendriya Vidyalaya, Ponda ,Haveli Curti, Near Sai Service, Ponda, Goa – 403401; Phone Number (0832) 2312924 | |
| 3 | Male Member | Shri Amar Chandra Rajput, Principal, PM Shri Kendriya Vidyalaya, Bhandup, NCH Colony, Kanjurmarg (West), Mumbai – 400 078.Phone Number : 022 25789004 | |
| 4 | NGO Member | Dr.Anjana Amit Thadani, Pediatrician, Director of NGO (PEHL) Niramaya Hospital, Maitri Park, Sion-Trombay Road, Chembur, Mumbai – 400071.Email: helpdesk@pehl.co.in ; Phone Number:-9820304802 | |

- टिप्पणी : 1) पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सदस्यों का कार्यकाल आदेश जारी होने से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।
2) सभी स्तरों पर आंतरिक शिकायत समिति का गठन इस आधार पर किया जाएगा जिससे कि गठित की गई समिति में नामित सदस्यों में से आधे सदस्य महिलायें होंगी।
3) 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013' अधिनियम में परिभाषित प्रकृति की शिकायतों की जांच सख्ती के साथ निर्धारित कालानुक्रम एवं प्रक्रिया द्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाये।

वितरण :

- 1) पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सभी सदस्यों
- 2) संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
- 3) संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक एवं सतर्कता अधिकारी), केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
- 4) उपायुक्त / निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय / आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
- 5) सहायक आयुक्त (सतर्कता), केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
- 6) प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुंबई संभाग को इस निदेश के साथ कि आदेश को विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों / कर्मचारियों की जानकारी में लाने हेतु परिचालित करते हुए नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें। केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 05.03.2019 (संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध) के अनुसार विद्यालय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति का कार्यकाल पूर्ण होने पर पुनर्गठित करने संबंधित उचित कार्यवाही करना भी सुनिश्चित करें।
- 7) निजी सहायक, उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुंबई संभाग को इस आदेश के साथ कि उक्त आदेश को क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करायें।
- 8) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई संभाग के सभी अधिकारियों /कर्मचारियों में परिचालनार्थ।
- 9) नोटिस बोर्ड / परिपत्र पत्रावलि

शाहिदा
(शाहिदा परवीन)
प्रभारी उपायुक्त